



सं.रा बैं(केरल)/डीपीएसपी/25759/ पी 64 /2024-25

No. NB (Kerala)/ DPSP/2575/P 64 / 2024-25

29 जुलाई 2024

29 July 2024

तिरुवनंतपुरम में नाबार्ड केरल क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय भवन में स्टेशनरी की आपूर्ति और मुद्रण सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं का पैनल तैयार करना

Empanelment of Service Providers for supply of Stationery and providing Printing Services in Regional Office Building of NABARD Kerala RO in Thiruvananthapuram

नाबार्ड तिरुवनंतपुरम स्थित अपने कार्यालय भवन के लिए स्टेशनरी और मुद्रण सेवाओं की खरीद के लिए दो वर्ष की वैधता के साथ प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं का एक पैनल तैयार करने जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए, केवल वे सेवा प्रदाता ही आवेदन करने के पात्र हैं जिनका पंजीकृत कार्यालय तिरुवनंतपुरम में है।

NABARD intends to prepare a panel of reputed service providers valid for two years, for procurement of stationery and printing services for its office building in Thiruvananthapuram. For this purpose, the service providers who have registered offices in Thiruvananthapuram are only eligible to apply.

पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में किया जाना चाहिए, जिसे पैनल में शामिल होने के नियमों और शर्तों सहित अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ बैंक की वेबसाइट <https://www.nabard.org> और केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (CPMP) <https://eprocure.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

The application for empanelment should be made in the prescribed format which, along with the other relevant details, including terms and conditions of empanelment, can be downloaded from the Bank's website <https://www.nabard.org> and Central Public Procurement Portal (CPMP) <https://eprocure.gov.in>

निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरे हुए और सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र एक सीलबंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से "मुद्रण सेवाएं और स्टेशनरी वस्तुओं की आपूर्ति प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के पैनल के लिए आवेदन" लिखा हो, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, स्टेट्यू, पुन्नन रोड, तिरुवनंतपुरम- 695001 को प्रस्तुत किए जाएँ।

The applications, duly filled in the prescribed format and complete in all respects, may be submitted in a sealed cover clearly super-scribing it as "Application for Empanelment of Service Providers for providing printing services and supply of stationery items" to the Chief General Manager, NABARD, Statue, Punnen Road, Thiruvananthapuram- 695001.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development



आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 08 अगस्त 2024 दोपहर 3 बजे तक है।

The last date for submission of application is 08 August 2024 up to 3 p.m.

जो विक्रेता पहले से ही बैंक के पैनल में शामिल हैं और जिनकी पैनलबद्धता की अवधि 31 मार्च 2025 तक है, उन्हें भी यदि वे पैनल में बने रहना चाहते हैं तो नए सिरे से आवेदन करना होगा।

The vendors who are already empaneled by the Bank and whose empanelment is up to 31 March 2025 are also required to apply afresh, if they want to continue on the panel.

बैंक किसी भी या सभी आवेदनों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और बैंक किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा।

The Bank reserves the right to reject any or all the applications without assigning any reasons and will not entertain any correspondence.

समझौते के अर्थ, दायरे, संचालन या प्रभाव या इसकी वैधता या उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद को बैंक के प्रतिनिधि और विक्रेता/विक्रेता के प्रतिनिधि के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। यदि दूसरे पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर विवादों और मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में विफलता होती है, तो इसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाएगा और इसके अनुसरण में किया गया फैसला अंतिम, निर्णायक और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान तिरुवनंतपुरम होगा।

Disputes or differences whatsoever arising out of or relating to meaning, scope, operation or effect of the agreement or the validity or the breach thereof shall be resolved amicably between the Bank's representative and the vendor/ vendor's representative. In case of failure to resolve the disputes and differences amicably within 30 days of the receipt of notice by the other party, then the same shall be settled by arbitration in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and the award made in pursuance thereof shall be final, conclusive and binding on the parties.

The venue of the arbitration shall be at Thiruvananthapuram.

भवदीय/Yours Faithfully

(सजीव एस /Sajeev S)

उपमहाप्रबंधक /Deputy General Manager

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development